460 4:50 pm

उत्तरखण्ड शासन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2
संख्या ——/17–XIX–2/99एम/2003
देहरादूनः दिनांक 30 जून, 2017

अधिसूचना

एतदद्वारा राज्य के क्षेत्रान्तर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्द्धन एवं संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महामहिम श्री राज्यपाल, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना सं0 140/XIX/एस0सी0 पी0सी0/2005 दिनांक 15.10.2005 को अतिक्रमित करते हुये "राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद" का निम्नानुसार गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– **"राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद"**

(1) सरकारी सदस्यः–

(क)	मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	–	अध्यक्ष,
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	–	सदस्य सचिव
(ग)	प्रमुख सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग	–	सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव/ सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–	सदस्य
(ड़)	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग	–	सदस्य
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	–	सदस्य
(ज)	प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास विभाग	–	सदस्य
(झ)	प्रमुख सचिव/ सचिव, उर्जा विभाग	–	सदस्य
(ञ)	प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
(ट)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(ठ)	प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग	–	सदस्य
(ड)	आयुक्त व्यापार कर	–	सदस्य
(ढ़)	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	–	सदस्य
(ण)	निबन्धक, सहकारी समितियॉ	–	सदस्य
(त)	महानिदेशक, सूचना विभाग,	–	सदस्य
(थ)	भारत सरकार के उपभोक्ता मामलें विभाग से नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
(द)	भारत मानक ब्यूरो (बी.आई.एस)/राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एन.टी. एच) के (निकटस्थ कार्यालय) से नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ध)	भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग (के निकटस्थ कार्यालय) से नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
(न)	भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग (के निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय) से नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
(प)	भारत सरकार के युवा मामलों तथा खेल विभाग (के निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय) से नामित एक प्रतिनिधि	–	सदस्य

क्रमशः.. 2 पर

(फ)	राज्य समन्वयक भारतीय आयल निगम– उत्तराखण्ड	–	सदस्य
(म)	सामान्य महाप्रबन्धक, दूरसंचार विभाग, देहरादून	–	सदस्य

(2) गैर सरकारी सदस्य

(क)	राज्य विधान सभा सदस्य, मा0 अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार द्वारा नामित	–	सदस्य (05)
(ख)	उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामित	–	सदस्य (02)
(ग)	उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा नामित	–	सदस्य (02)

2– राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक उस समय होगी, जब आवश्यकता होगी, किन्तु वर्ष में दो से कम बैठकें नहीं की जायेगी।

राज्य उपभोक्ता परिषद कारोबार के संव्यवहार में उ0प्र0 उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड के यथा प्रवृत्ति) के नियम–2 (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव।

संख्या —/17–XIX–2/99एम/2003 तद्दिनांक

उपुर्यक्त की प्रति निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री, रूड़की, उत्तराखण्ड की इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया अधिसूचना को 2017 के आगामी असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 100 प्रतियॉ इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल),
उप सचिव।

संख्या 539/17–XIX–2/99एम/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।
2– सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
3– सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार।
4– सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार।
5– निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग, नई दिल्ली।
6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (उल्लिखित विभाग)
7– विभागाध्यक्ष (उल्लिखित विभाग)
8– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड।
10– समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तराखण्ड।
11– समन्वयक, एनआईसी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अधिसूचना की प्रति सम्बन्धित वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 डुंगरियाल),
उप सचिव।